भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3102

06 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

शहरी स्थानीय निकायों के लिए प्रोत्साहन

3102. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावतः

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या स्वच्छता संपरीक्षा में उत्कृष्ट या उच्च ग्रेड प्राप्त करने वाले शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) को प्रोत्साहन के रूप में अतिरिक्त वित्तीय सहायता, विशेष अनुदान या अन्य संसाधन प्रदान करने का कोई प्रावधान है और यदि हाँ, तो उक्त संपरीक्षा की प्रक्रिया, मानदंडों और आवृत्ति के ब्यौरे के साथ-साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इसके लिए कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एस.बी.एम.-यू.) के तहत स्वच्छता की निगरानी करने, अपशिष्ट प्रबंधन स्थलों का निरीक्षण करने और सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता व्यवस्था का आकलन करने के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है और यदि हाँ, तो इसके परिणामस्वरूप प्राप्त परिणामों सहित राज्य-वार और शहरी स्थानीय निकाय-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो स्वच्छता की निगरानी को अधिक प्रभावी और तकनीक-आधारित बनाने के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग करने के संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख): स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) 2.0 को 1 अक्टूबर 2021 को पांच साल की अवधि के लिए शुरू किया गया था, जिसमें स्रोत पृथक्करण, डोर-टू-डोर संग्रहण,

अपशिष्ट के सभी अंशों के वैज्ञानिक प्रबंधन, वैज्ञानिक लैंडफिल में शेष अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान और देश के शहरी क्षेत्रों में सभी पुराने डंपसाइटों के सुधार के माध्यम से सभी शहरों के लिए कचरा मुक्त स्थिति प्राप्त करने की दृष्टि से एक नया घटक, प्रयुक्त जल प्रबंधन (यूडब्ल्यूएम) शुरू किया गया था।

एसबीएम-यू 2.0 के तहत, पूरी मिशन अवधि के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का कुल वित्तीय परिव्यय 1,41,600 करोड़ रुपये है, जिसमें 36,465 करोड़ रुपये की प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता शामिल है।

एसबीएम-यू 2.0 के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन घटक के तहत विभिन्न प्रकार की नगरपालिका अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं जैसे सामग्री रिकवरी सुविधाएं (एमआरएफ), अपशिष्ट से खाद (डब्ल्यूटीसी) संयंत्र, बायो-मिथेनेशन संयंत्र, रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल (आरडीएफ) प्रसंस्करण सुविधाएं, अपशिष्ट से बिजली (डब्ल्यूटीई) संयंत्र, निर्माण और मलबा (सी एंड डी) अपशिष्ट संयंत्र, सीबीजी संयंत्र सहित सैनिटरी लैंडफिल आदि की स्थापना के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) निधि प्रदान की जाती है।

यूडब्ल्यूएम घटक के तहत, 1 लाख से कम आबादी वाले शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को सीवेज शोधन संयंत्रों (एसटीपी)/एसटीपी-सह-एफएसटीपी की स्थापना और इंटरसेप्शन और डायवर्जन (आई एंड डी) संरचनाओं को बिछाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें पंपिंग स्टेशनों और पंपिंग मेन /ग्रेविटी मेन को एसटीपी तक पहुंचाने का प्रावधान आदि शामिल है।

इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय वर्ष 2016 से एक वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण - स्वच्छ सर्वेक्षण कर रहा है, जिसने पिछले कुछ वर्षों में मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में शहरों के बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह वार्षिक सर्वेक्षण शहरों को विभिन्न स्वच्छता मापदंडों पर रैंक प्रदान करता है, जो एक महत्वपूर्ण कड़ी प्रक्रिया के माध्यम से आयोजित किया जाता है, इसके माध्यम से शहरों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सबसे स्वच्छ शहर/राज्य के रूप में स्थान प्राप्त करने के लिए एक-दूसरे के साथ

सकारात्मक रूप से प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग वाले शहरों को उनके निष्पादन के लिए सम्मानित किया जाता है। स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत चयनित शहरों को कोई अन्य प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ): स्वच्छता राज्य का विषय है। राज्य/यूएलबी देश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों की योजना बनाने, डिजाइन करने, निष्पादन करने, संचालन करने और समीक्षा करने के लिए उत्तरदायी हैं, जिसमें स्वच्छता की निगरानी, अपशिष्ट प्रबंधन स्थलों का निरीक्षण और सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता व्यवस्था का आकलन करने के लिए ड्रोन-आधारित हवाई सर्वेक्षण जैसी प्रौद्योगिकी के उपयोग संबंधी निर्णय शामिल हैं।
